

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी-

मुरारी लाल शर्मा

आर.ए.एस.

मिसल नम्बर

तारीख दायरा

तारीख निर्णय

63 / 2021 / प्रा.पत्र / 2021

12.07.2021

30.09.2021

सत्यनारायण गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

..... प्रार्थी

बनाम

1-श्री हुकुम चन्द अग्रवाल पुत्र श्री गोपीलाल अग्रवाल निवासी ग्राम व पोस्ट खरेडा बुजुर्ग तहसील निवाई जिला टोंक एफ.बी.ओ. मैसर्स विशाल किराणा स्टोर बस स्टैण्ड खरेडा बुजुर्ग तहसील निवाई जिला टोंक राज0

2- मैसर्स विशाल किराणा स्टोर बस स्टैण्ड खरेडा बुजुर्ग तहसील निवाई जिला टोंक राज0

..... अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 (2) की उप धारा (iv) (v) एवं दण्डनीय धारा 58 (सहपठित धारा 49)

उपरिथत-

1-प्रार्थी की ओर से श्री मदनलाल गूर्जर, खा0सु0अ0 स्वयं।

2-अप्रार्थी उपरिथत

:-निर्णय:-

दिनांक 30.09.2021

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 19.01.2021 को समय 2.30 पी.एम पर वास्ते निरीक्षण मैसर्स विशाल किराणा स्टोर बस स्टैण्ड खरेडा बुजुर्ग तहसील निवाई जिला टोंक राज0पर पहुंचां। प्रोपराइटर की हैसियत से श्री हुकुम चन्द अग्रवाल पुत्र श्री गोपीलाल अग्रवाल निवासी ग्राम व पोस्ट खरेडा बुजुर्ग तहसील निवाई जिला टोंक एफ.बी.ओ. मैसर्स विशाल किराणा स्टोर बस स्टैण्ड खरेडा बुजुर्ग तहसील निवाई जिला टोंक राज0 खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपरिथत मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया तथा उसका परिचय लिया, पूछने पर प्रतिष्ठान का मालिका होना स्वीकार किया एवं मौके पर खाद्य अनुज्ञा पत्र होना जाहिर किया।

आवेदक द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु दुकान में मिर्च पावडर (खुला) रखा हुआ था, का निरीक्षण करने पर मिलावट की शंका होने पर विक्रेता श्री हुकुम चन्द अग्रवाल को गवाह के सामने फार्म नं. 5ए में वास्ते नमूना क्रय व



1335

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक



हेतु नोटिस देकर नोटिस की रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता हुकुम चन्द अग्रवाल एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाकर प्रार्थी ने हस्ताक्षर कर तस्दीक किया।

आवेदक द्वारा दुकान में प्लास्टिक के 1 कट्टे में लगभग 4-5 किलोग्राम मिर्च पावडर (खुला) रखे हुये में से 2 किलोग्राम वेईंग मशीन से तुलवाकर वास्ते नमूना जांच खरीदा जिसकी बाजार भाव के समान कीमत विक्रेता श्री हुकुम चन्द अग्रवाल को रू0 400/- अक्षरे चार सौ रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये।


आवेदक द्वारा खरीदशुदा मिर्च पावडर (खुला) 2 किलोग्राम को अलग-अलग चार साफ व सूखे प्लास्टिक के डिब्बों में प्रत्येक में 500-500 ग्राम भरकर, प्लास्टिक के डिब्बों के ढक्कन को नियमानुसार एयरटाईट बंद कर नियमानुसार चार नमूना भाग तैयार कर एवं चारों नमूना भागों के लिये चार लेबल नियमानुसार तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से चिपकाया और प्रत्येक लेबल पर डी.ओ.कोड एवं क्रमांक I-2808 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं के हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता के तथा गवाह के हस्ताक्षर करवाये गये।

चारों नमूना भागों को अलग-अलग खांकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टॉक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. I-2808 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई से गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता हुकुम चन्द अग्रवाल के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवे। चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया व मोका फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं0 6 की 6 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टॉक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./2021/413 दिनांक 17.02.2021 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल0एस0/168/एक्ट/2021/279 दिनांक 03.02.2021 अनुसार हुकुम चन्द अग्रवाल से वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया मिर्च पावडर (खुला) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 के रेगुलेशन (विक्रय प्रतिषेध एवं निर्बंधन) नं0 2.3.14(15) के अनुसार कॉन्ट्रावेन (Contravene) स्तर का होना पाया गया।

अतः प्रकरण में अप्रार्थीगण द्वारा कॉन्ट्रावेन (Contravene) स्तर का मिर्च पावडर (खुला) का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (iv) (iv) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक



अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 58 (सहपठित धारा 49) में निर्धारित है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा किसी प्रकार का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया तथा अपना जुर्म स्वीकार किया। प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस **मिर्च पावडर (खुला)** का विक्रय कर रहा था वह जांच में **कॉन्ट्रावेन (Contravene)** स्तर का होना पाया गया है इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **मिर्च पावडर (खुला)** का नमूना जांच में **कॉन्ट्रावेन (Contravene)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (iv) (v) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरुद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 58 (सहपठित धारा 49) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरुद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी श्री हुकुम चन्द अग्रवाल पुत्र श्री गोपीलाल अग्रवाल निवासी ग्राम व पोस्ट खरेडा बुजुर्ग तहसील निवाई जिला टोंक एफ.बी.ओ. मैसर्स विशाल किराणा स्टोर बस स्टैण्ड खरेडा बुजुर्ग तहसील निवाई जिला टोंक राज0 पर शास्ति 15,000 (अक्षरे पन्द्रह हजार रू0) आरोपित की जाती है अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 30.09.2021 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 30.09.2021 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।



(मुसारी लाल शर्मा)
न्यायनिर्णयक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला न्यायाधीश
टोंक-राज0